राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	1454/2025	सुनील रावत	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान सरकार, वित्त भवन जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री नितिन भारद्वाज
2.	1497/2025	अमर भंडारी	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री सुरेन्द्र सिंह
3.	1709/2025	कृष्ण कुमार शर्मा	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री मनीष कुमार शर्मा

आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है। इसलिए समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है।

3. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम/द्वितीय के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मामलों में दिनांक 28.01.2025 को पारित निर्णय में सहायक लेखाधिकारी–प्रथम /द्वितीय के कुल 1116 कार्मिकों के स्थानांतरण के आदेश को Abeyance में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन 1116 कार्मिकों के स्थानांतरण आदेश के संबंध में आदेश पारित किया है, उसमें वर्तमान अपीलों के आलोच्य आदेश भी शामिल है, जिससे अपीलार्थीगण के स्थानांतरण हुए हैं। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण

के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है और अपीलार्थीगण पर नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

4. हमनें अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिट याचिका संख्या 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मामलों में निर्णय दिनांक 28.01.2025 पारित कर निम्न प्रकार से आदेश पारित किया हैः—

" 10. Accordingly, in light of the observations made hereinabove, it is directed that the competent authority shall take a fresh call with respect to all of 1,116 Assistant Account Officers (Grade-I & II) and segregate them into two separate lists i.e. the ones who have completed their four years warranting their transfers and; the second list of those where special circumstances exist as per Clause (1) of the Circular, ibid.

11. Till then the implementation of the impugned transfer orders shall be kept at abeyance in rem.

12. Needless to say that those of the transfer orders, which do not require to be recalled after carrying out the aforesaid exercise shall be implemented. Those cases, where owing to special circumstances, transfers have to be carried out, such officials are at liberty to assail the same by filing fresh petition, if so advised.

13. At this stage, learned Additional Advocate General submits that passing of the fresh orders requires prior sanction from the competent authority in view of the ban imposed by the Chief Secretary vide an administrative order dated 03.01.2024. In order to obviate any procedural hurdle, it is made clear that since the transfer orders have been put on hold by mandamus of this Court, thus taking fresh administrative decision qua the petitioners shall be construed to be in continuation of the earlier transfer orders. No prior sanction would thus be required in terms of the circular dated 03.01.2024 issued by the Chief Secretary.

14. Also, as a matter of abundant caution, it is clarified that those of the officials who have been transferred vide impugned orders herein and have no grievance qua the same, their transfer orders need not be recalled or reviewed by the competent authority pursuant to the mandamus issued vide instant order. Likewise, those of the officials who have not been displaced outside the same town where they are currently

posted, in their case also the competent authority shall be exempted to pass any fresh orders.

15. In the parting, at the cost of repetition, I may hasten to add that no doubt, the finance department administrative circular dated 08.03.2017 provides flexibility by allowing transfers before four years in "special circumstances" and "in the interest of the State", but at the same time it also aims to provide certain stability to officers. Thus, a balance has to be maintained by adopting an approach to protect officers from arbitrary actions without undermining the authority's ability to manage administrative exigencies. It is in this context that the competent authority ought to have segregated officers into two lists—those who have completed four years and those transferred due to special circumstances. Same would also ensure that each case is individually assessed. I am conscious that administrative decisions, especially those involving large-scale transfers, require certain degree of discretion which this court is not equipped to second-guess. The separation of powers and the expertise of the administrative body has to be given due credence. Endeavour of this court by directing a reassessment of the transfers is merely to provide a safeguard against seemingly arbitrary action by striking a fair and pragmatic balance between rights of the account officers and administrative exigencies.

16. The writ petitions are thus disposed of with liberty to the competent authority to carry out the aforesaid needful exercise within a period of 30 days with effect from the date of receipt of web-print of this order and pass fresh orders, wherever warranted, keeping in mind the observations made here in above.

17. All pending applications also stand disposed of. "

5. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रकार से आदेश पारित कर सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय की स्थानांतरण सूचियों को Abeyance में रखे जाने के आदेश पारित किए हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूरे स्थानांतरण आदेश को Abeyance में रखे जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, तो अपीलार्थीगण को नए स्थान पर कार्यग्रहण कराने पर जोर दिया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर उक्त समस्त अपीलों का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थीगण के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए और तब तक अपीलार्थीगण पर नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही किए जाने तक अपीलार्थीगण को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत थे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का कोई प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय की पालना किये जाने पर नहीं होगा और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की जावेगी।

7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1454/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)	(विकास सीतारामजी भाले) अध्यक्ष